झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

संचिका सं0-03/कृ0रा0यो0-03/2020 01 /कृ0, राँची, दिनांक-25/04/2022

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी.,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वारा - योजना-सह-वित्त विभाग (आन्तरिक वित्तीय सलाहकार)

विषय - **राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना अन्तर्गत बीज विनिमय वितरण कार्यक्रम तथा बीज उत्पादन योजना में विभिन्न फसलों के उत्पादन हेतु अनुदानित दरों पर खरीफ एवं रबी फसलों के बीज वितरण एवं राज्य में अवस्थित विभिन्न कृषि प्रक्षेत्रों (अनुमण्डलीय कृषि प्रक्षेत्र, बीज गुणन प्रक्षेत्र तथा राजकीय कृषि प्रक्षेत्र) में खरीफ एवं रबी बीज उत्पादन तथा न्यायालय से आच्छादित मामलों एवं सरकारी संस्थानों के द्वारा आपूरित किये गये बीज के लम्बित दायित्व के भुगतान हेतु रू. 4000.00 लाख (चालीस करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबध में।**

महाशय,

राज्य योजनान्तर्गत "बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम" एक चालू प्रकृति की योजना है, जिसके अंतर्गत कृषकों को बीज वितरण नीति-2011 के प्रावधानों के आलोक में अनुदानित दरों पर विभिन्न फसलों के उत्पादन हेतु प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाता है। इसमें "बीज उत्पादन कार्यक्रम" का समावेश कर बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम तथा बीज उत्पादन योजना का गठन किया गया है।

इस योजनान्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राशि रू. 2500.00 लाख (पच्चीस करोड़ रूपये) की स्वीकृति दी गयी थी।

2. कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न फसलों के उत्पादन हेतु अनुदानित दरों पर खरीफ एवं रबी फसलों के बीज वितरण तथा राज्य में अवस्थित विभिन्न कृषि प्रक्षेत्रों (अनुमण्डलीय कृषि प्रक्षेत्र, बीज गुणन प्रक्षेत्र तथा राजकीय कृषि प्रक्षेत्र) में खरीफ एवं रबी बीज उत्पादन तथा न्यायालय से आच्छादित मामलों एवं सरकारी संस्थानों के द्वारा आपूरित किये गये बीज के लम्बित दायित्व के भुगतान हेतु रू. 4000.00 लाख (चालीस करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है। बीज विनिमय वितरण कार्यक्रम एवं बीज उत्पादन योजना हेतु आवश्यकता आधारित लक्ष्य का निर्धारण कृषि निदेशक, झारखण्ड के द्वारा किया जायेगा।

3. न्यायालय से आच्छादित मामलों एवं सरकारी संस्थानों के द्वारा आपूरित किये गये बीज के लम्बित दायित्व का भुगतान सम्यक जाँचोपरान्त संतुष्ट होते हुए किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि में से पहले बीज उत्पादन हेतु राशि कर्णांकित की जायेगी। तत्पश्चात अवशेष राशि से बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम योजना हेतु व्यय किया जायेगा।

5. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कृषि निदेशालय के प्रस्ताव के अनुसार सीड एक्शन प्लान निम्नवत् प्रतिवेदित की गई है :-

Seed requirement Plan 2022-23 के अनुसार बीज की आवश्यकता :-

क्र0	मौसम	आवश्यक बीज का मात्रा (क्विं0 में)
1	खरीफ	322523.00
2	रबी	280576.00
	कुल	**603099.00**

गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बीज उत्पादन योजनान्तर्गत उत्पादित बीज को वर्त्तमान वित्तीय वर्ष हेतु आवश्यक बीज की मात्रा से घटाते हुए अवशेष बीज हेतु ही Empanelled संस्थाओं के माध्यम से क्रय किया जायेगा।

6. इस योजना से वित्तीय वर्ष 2022-23 में धान, मक्का तथा दलहनी एवं तेलहनी फसलों के लिए अनुशंसित प्रभेदों के आधार पर राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित विभिन्न कृषि प्रक्षेत्रों (अनुमण्डलीय कृषि प्रक्षेत्र, बीज गुणन प्रक्षेत्र तथा राजकीय कृषि प्रक्षेत्र) में खरीफ एवं रबी बीज उत्पादन भी किया जायेगा। बीज उत्पादन से आशातीत बीज प्रतिस्थापन दर (SRR) प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। बीज उत्पादन का लक्ष्य निम्नवत् है :-

क्र0	मौसम	बीज उत्पादन का रकबा (लक्ष्य हे0 में)
1	खरीफ	125
2	रबी	25
	कुल	**150**

7. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि रू. 4000.00 लाख (चालीस करोड़ रूपये) मात्र की निकासी निम्न बजटशीर्ष से की जाएगी : -

(राशि लाख रू. में)

क्र0	बजटशीर्ष	स्वीकृत राशि
1	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-BR- बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना, उप योजना शीर्ष-01-बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी 01S240100796BR010652	2400.00
2	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-102-खाद्यान्न फसलें, उपशीर्ष-BR- बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना, उप योजना शीर्ष-01-बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना, विस्तृतशीर्ष-06 अनुदान, 52 सब्सिडी 01S240100102BR010652	1200.00

3	मुख्यशीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष– BR– बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना, उप योजना शीर्ष–01–बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना, विस्तृतशीर्ष–06–अनुदान, 52–सबसिडी 01S240100789BR010652	400.00
	योग	4000.00

(चालीस करोड़ रूपये)

वित्त विभागीय बजट पुस्तिका 2022–23 में प्रासंगिक योजना से संबंधित सम्प्रति बजटशीर्ष 01S240100796BR010106, 01S240100102BR010106 एवं 01S240100789BR010106 अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है। बजटशीर्ष में सुधार की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बजटशीर्ष में अपेक्षित सुधार के पश्चात ही आवंटन निर्गत किया जायेगा, जो स्वीकृत योजना के बजटशीर्ष के अनुरूप होगा।

8. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची/संबंधित जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी–सह–प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला के कोषागार/उपकोषागार से की जायेगी।

9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय नियमावली एवं कोषागार संहिता तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जाएगी।

10. कृषि प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन हेतु जिलावार लक्ष्य का निर्धारण कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची के द्वारा किया जायेगा। बीज उत्पादन की लागत का दर निर्धारण बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, राँची द्वारा की जायेगी, जो कि पूरे राज्य में लागू होगी। इस आधार पर जिलावार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण किया जायेगा।

11. कृषि प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन हेतु निम्न वर्णित प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

क. बीजोत्पादन हेतु आवश्यक समस्त उपादान (Inputs) विहित प्रक्रिया अपनाते हुए की जायेगी।

ख. प्रक्षेत्र में प्राथमिकता के तौर पर ऐसे प्रभेदों को ही लगाया जाएगा, जिनकी मांग किसानों के बीच अधिक हो।

ग. इस योजना हेतु बिरसा कृषि विश्वविद्यालय/अन्य सरकारी संस्थानों से प्रजनक/आधार बीज की प्राप्ति की जाएगी। जिलों में आवस्थित अनुमण्डलीय कृषि प्रक्षेत्र, बीज गुणन प्रक्षेत्र तथा राजकीय कृषि प्रक्षेत्र में बीज उत्पादन का कार्य संबंधित जिलों में अवस्थित कृषि विज्ञान केन्द्रों के कृषि विशेषज्ञों की देख रेख में किया जाएगा।

घ. बीज उत्पादन का कार्य संबंधित जिलों में जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी–प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से कराया जाएगा।

ड. उत्पादित किये गये समस्त बीज पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का स्वामित्व होगा, जिसके द्वारा कालक्रम में कृषकों को अनुदानित दर पर उत्पादित बीजों को उपलब्ध कराया जायेगा।

च. इस योजना की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराई जायेगी तथा सफलता की गाथाओं को संकलित किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी।

छ. उत्पादित बीज का प्रमाणीकरण भी सुनिश्चित किया जायेगा।

01
25/04/2022

12. इस योजनान्तर्गत विभिन्न फसलों हेतु पूर्व स्थापित विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जायेगी।

13. इस योजनान्तर्गत आपूर्तिकर्त्ताओं का चयन स्थापित प्रकिया के आलोक में सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

14. योजना के कार्यान्वयन में झारखण्ड राज्य बीज वितरण नीति–2011 के सभी प्रावधानों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करते हुए योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

15. योजनान्तर्गत विभाग के प्रक्षेत्रों (Seed Farms) में उत्पादित प्रमाणित बीजों का भी वितरण संबंधित जिला कृषि कार्यालयों में आउटलेट अथवा प्रखण्ड के माध्यम से किया जाएगा। इसके अन्तर्गत कृषकों से प्राप्त विकय राशि संबंधित कोषागार में जमा की जायेगी तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को राज्य सरकार से कोई अनुदान देय नहीं होगा।

16. राज्य के कृषकों को विभिन्न फसलों के प्रमाणित/संकर बीज हेतु सरकार द्वारा निर्धारित क्रय राशि में से अनुमान्य अनुदान 50 प्रतिशत की राशि घटाकर शेष राशि पर बिक्रय किये जायेंगे।

17. कृषि निदेशक, झारखण्ड इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे तथा उनके द्वारा जिलावार आवश्यकतानुसार विभिन्न जिलों में बीज वितरण का लक्ष्य हेतु आपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा।

18. कृषक बीज हेतु प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकि प्रबंधक/सहायक तकनीकि प्रबंधक/जनसेवक के माध्यम से विहित प्रपत्र में आवेदन कर सकेंगे। प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकि प्रबंधक/सहायक तकनीकि प्रबंधक/जनसेवक द्वारा कृषक से संबंधित सेवा क्षेत्र में अवस्थित लैम्पस/पैक्स/प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी खुदरा विकेता के पास उपलब्ध बीज की पूर्ण विवरणी कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषक के मांग के अनुसार बीज के लिए तदनुसार टोकन, संबंधित लैम्पस/पैक्स/प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी खुदरा विकेता को निर्गत किया जायेगा। टोकन पर राज्य सरकार द्वारा बीज पर दिये जाने वाले अनुदान के आधार पर दर का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकि प्रबंधक/सहायक तकनीकि प्रबंधक/जनसेवक द्वारा बीज कृषक के कृषि योग्य भूमि के अनुपातिक दिये जाने की अनुशंसा की जायेगी।

19. बीज विनिमय योजनान्तर्गत प्रखण्ड स्तर पर डीलर Networking से बीज वितरण हेतु प्रखण्ड स्तर पर लक्ष्य का निर्धारण संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी करेंगे।

20. सभी जिला कृषि पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बीज आपूर्तिकर्त्ताओं से प्रमाणित/संकर बीज सही मात्रा में प्राप्त किए जा रहे हैं तथा इन बीजों की प्राप्ति वे उसी तिथि तक करेंगे जबतक कि कृषक इन बीजों को प्राप्त कर खेत में बोआई कर सकें। हर हाल में फसल चक्र के अनुपालन का दायित्व कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची/संबंधित संयुक्त कृषि निदेशक/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी का होगा।

    समस्त जिला कृषि पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में इन बीजों के बोआई का समय समाप्त हो जाने पर किसी भी स्थिति में बीज का वितरण कृषकों के बीच नहीं करेंगे।

21. बीज आपूर्तिकर्ता संस्थाओं के द्वारा ससमय बीज की आपूर्ति की जायेगी एवं बीज वितरक संस्थाओ द्वारा कृषकों को ससमय बीज वितरण किया जायेगा तथा वितरण करते समय अनिवार्य रूप से कृषकों को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराया जाएगा।

01
25/04/2022

प्राप्त किये गये बीजों का भंडारण पंजी, बीज वितरण पंजी, कृषकों की सूची का संधारण बीज वितरक संस्था के द्वारा, सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेश के आलोक में सुनिश्चित किया जाएगा एवं समय-समय पर संबंधित जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी/ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया जायेगा।

साथ ही प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकि प्रबंधक/सहायक तकनीकि प्रबंधक द्वारा समय-समय पर अपने-अपने कार्यक्षेत्र में इसका अनुश्रवण किया जायेगा तथा अपने जिला के जिला कृषि पदाधिकारी/ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया जायेगा।

22. COVID-19 महामारी के मद्देनजर बीज वितरक संस्था द्वारा Social Distancing एवं अन्य अपेक्षित Guidelines का पालन करते हुए कृषकों को बीज वितरित किया जायेगा।

23. आपूरित बीजों के संदर्भ में भली-भांति सत्यापन एवं भुगतान देयता से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/ अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायगा। किसी भी प्रकार का अनियमितता एवं त्रुटिपूर्ण भुगतान पाये जाने पर जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

24. अनुदानित दर पर वितरित किये जाने वाली बीजों की गुणवत्ता का आकलन करने हेतु लॉटवार नमूना लिया जायेगा तथा जाँच हेतु बीज, राज्य की बीज परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जायेगा तथा मानक आने पर ही वितरण किया जायेगा।

25. सभी संबंधित आपूर्तिकर्त्ता/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/ प्रखण्ड तकनीकि प्रबंधक/सहायक तकनीकि प्रबंधक द्वारा संबंधित जिले के जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी को प्रत्येक दिन के बीज प्राप्ति/वितरण से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा भी समय-समय पर अपने जिलों में बीज प्राप्ति/वितरण की जाँच की जायेगी। संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा साप्ताहिक प्रतिवेदन संबंधित संयुक्त कृषि निदेशक, उपायुक्त एवं कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही संयुक्त कृषि निदेशकों द्वारा पाक्षिक प्रतिवेदन कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा।

26. योजना कार्यान्वयन के व्यय से संबंधित सम्पूर्ण लेखा का संधारण सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा अपने-अपने स्तर पर किया जायेगा तथा इसकी जांच सक्षम स्तर से की जाएगी एवं अंकेक्षण हेतु सभी अभिलेख/प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराये जायेंगे।

27. राज्य स्तर पर कृषि निदेशक, झारखंड, प्रमंडलीय स्तर पर संबंधित संयुक्त कृषि निदेशक तथा जिला स्तर पर संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा योजना का सतत अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाएगा तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार समस्त कदम उठाये जायेंगे ताकि निहित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। योजना की प्रगति संबंधी मासिक प्रतिवेदन सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रत्येक माह के अंत में प्रेषित किया जायेगा।

28. बीजों की गुणवत्ता एवं उसके अंकुरण के साथ-साथ लाभुकों की चयन के संबंध में सभी पदाधिकारीगण द्वारा पूरी सावधानी बरती जाएगी तथा योजना संबंधी प्रतिवेदन व्यय विवरणी के साथ नियमित रूप से संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी से प्राप्त कर कृषि निदेशक द्वारा सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की

01
25.04.2022

प्रक्रियात्मक अनियमितता, भुगतान संबंधी अनियमितता, त्रुटिपूर्ण कार्य प्रणाली पाये जाने पर संबंधित जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी एवं अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

29. इस योजना के कार्यान्वयन में सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में राशि का व्यय वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा, जो स्वीकृत राशि के अन्तर्गत होगा। राशि का विचलन किसी अन्य कार्य में नहीं किया जायेगा तथा प्रगति प्रतिवेदन ससमय समर्पित किया जायेगा।

30. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना सं0-301 दि0-11.03.2015 के कंडिका-9.4 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत की जा रही है।

31. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

32. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-01 /कृ0, राँची, दिनांक-25/04/2022

प्रतिलिपि-संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-01 /कृ0, राँची, दिनांक-25/04/2022

प्रतिलिपि-कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची को मूल प्रति के आलावा स्वीकृत्यादेश की प्रति उनके ई-मेल आई0डी0-directoragriculturejh@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाईट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-01 /कृ0, राँची, दिनांक-25/04/2022

प्रतिलिपि-विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट/योजना शाखा-3, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 1171

पत्रांक संख्या :- 01 | **झारखण्ड सरकार** | पत्रांक दिनांक :- 25/04/2022

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

ABOOBACKER SIDDIQUE P
SECRETARY
AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND COOPERATIVE, NEPAL HO

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार ,झारखण्ड का कार्यालय ,
पोस्ट - डोरंडा ,राँची ।
द्वारा- *आतंरिक वित्तीय सलाहकार

बिषय : राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना अन्तर्गत बीज विनिमय वितरण कार्यक्रम तथा बीज उत्पादन योजना में विभिन्न फसलों के उत्पादन हेतु अनुदानित दरों पर खरीफ एवं रबी फसलों के बीज वितरण एवं राज्य में अवस्थित विभिन्न कृषि प्रक्षेत्रों (अनुमण्डलीय कृषि प्रक्षेत्र, बीज गुणन प्रक्षेत्र तथा राजकीय कृषि प्रक्षेत्र) में खरीफ एवं रबी बीज उत्पादन तथा न्यायालय से आच्छादित मामलों एवं सरकारी संस्थानों के द्वारा आपूरित किये गये बीज के लम्बित दायित्व के भुगतान हेतु रू. 4000.00 लाख (चालीस करोड़ रूपयेद्ध मात्र की स्वीकृति के संबध में।

आदेश- स्वीकृत |

1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 01 - कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के, राज्य स्कीम
मुख्यशीर्ष - 2401-फसल कृषि-कर्म
उपमुख्य शीर्ष - 00-फसल कृषि-कर्म
राज्य योजना

लघुशीर्ष	राशि
102-खाद्यान्न फसलें	12,00,00,000.00
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	4,00,00,000.00
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	24,00,00,000.00
कुलराशि :-	40,00,00,000.00

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
01S240100796BR0652	BR - बिरसा बीज उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं फसल विस्तार योजना	52 - सबसिडी	
01S240100102BR0652		52 - सबसिडी	
01S240100789BR0652		52 - सबसिडी	

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा।

2.) प्रस्ताव पर आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

3.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

136.233.39.225

Run Date: 22/08/2022